न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 41/2024 बउनवानी डॉ. भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्ट स0मा0 पुत्र श्री शेर सिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए,मुरलीपुरा जयपुर /

GCMS No-2024/94

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20.9.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–	

1. यह है कि जिला कलेक्टर कों प्रधान पंचायत समिति खण्डार श्री नरेन्द्र चौधरी द्वारा राजस्व अधिकारियो तहसीलदार खण्डार के विरूद्व दिनांक 23.8.2022 को प्रेषित परिवादा की प्रमाणित प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला द्वारा उपजिला कलेक्टर खण्डार को जॉच हेतु प्रेषित है उक्त शिकायत बाबत उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त रिपोर्ट मय बयान व सलग्नक की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 14.9.2023 को आवंटित राजकीय वाहन के लॉगबुक की प्रमाति प्रति
3. यह है कि ख0न0 823/544, 539,540, 543/1 व 543/2 वाके ग्राम दौलतपुरा खण्डार के पड़त पटवार एवं पड़त सरकार की विक्रमी सम्वत् 2058–61 से 2077–81 तक की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति।
4. यह है कि दिनांक 2.5.2023 को तरमीम हेतु तहसीलदार खण्डार द्वारा गठित टीम दिनांक 27.4.2023 की प्रमाणित प्रति तथा उक्त टीम द्वारा दिनांक 2.5.2023 को दर्ज तरमीम मय आस पास के खसरों मय समस्त नोट दिनांक 2.5.2023 बाबंत ख0न0 823/544 एवं 539 ग्राम दौलतपुरा की प्रमाणित प्रति।
5. यह है कि तहसीलदार खण्डार का पत्रांक 2.5.2023 , 2176–77 पुश्त पर दर्ज पत्रांक न्या0 एडीजे कोर्ट पत्रांक 206 दिनांक 1.5.2023 पत्र आदेश दिनांक 27.4.2023 की प्रमाणित प्रति ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः प.13(2)(52)सूका [illegible] 2024/857 दिनांक 22.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट [illegible] प्रार्थना पत्र दिनांक 23.4.2024 के बिन्दु संख्या 2 की सूचना [illegible] संबंधित होने के कारण उक्त सूचना के लिए 2/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 518 दिनांक 17.5.2024 से अपीलान्ट को लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त सूचना अभी तक अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 1, 3,4,5 की सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./24/2533 दिनांक 18.9.2024 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/अपील संख्या/4/24/5395 दिनांक 29.3.2024 से भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 383 दिनांक 12.7.2023 से प्रेषित की जा चुकी है तथा पुनः आवेदन पत्र दिनांक 27.3.2024 से सूचना चाही जाने पर तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 815 दिनांक 23.8.2024 से सूचित किया जा चुका है एवं आवेदन पत्र दिनांक 13.5.2023 से बिन्दु संख्या 4 की सूचना चाही जाने पर तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 4384 दिनांक 5.12.2023 एवं 3383 दिनांक 12.7.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना बिन्दु संख्या 4 की सूचना मे समाहित है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.4.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए 2/—रू शुल्क जमा नही करवाने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। शेष बिन्दु संख्या 1,3,4,5 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:46:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner